न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनियॉं आर.ए.एस.

अपील संख्या 2023/58 (58/2023) 223 आरटीएक्ट

1. सरोज पुत्री बुधराम
2. सिलोचना पुत्री बुधराम
3. कमला पत्नी जगदीश प्रसाद
4. नन्दलाल पुत्र जगदीश प्रसाद
5. सुखेदव पुत्र जगदीश प्रसाद
6. ममता पुत्री जगदीश प्रसाद
7. सींगाराम पुत्र नानूराम
8. महेन्द्र पुत्र नानूराम
9. बालूराम पुत्र नानूराम
10. शकुन्तला उर्फ सुमित्रा पत्नी औमप्रकाश
11. राकेश पुत्र औमप्रकाश
12. मंजू पुत्री औमप्रकाश
13. संजय पुत्र दीपचंद
14. अजीत पुत्र दीपचंद

जाति बादी निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।

– अपीलान्ट

बनाम

श्योलाल उर्फ श्योदयाल पुत्र मानाराम जाति बादी नि. गांधी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।

– रेस्पोडैन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2023
द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भादरा
प्रकरण संख्या 74/2017
अनवान बुधराम बनाम श्योलाल

श्री देवदत्त भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1

निर्णय दिनांक – 20.7.23

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकार्ड के संबंध में पेश किया। वाद पत्र में रोही मौजा चक 20 ए.एम.एस. के खाता सं0 186/175 की कुल 1.771 है0 बारानी कृषि भूमि तथा चक 7 एसडीआर के खाता सं0 169/155 की कुल 0.759 है0 भूमि प्रतिवादी श्योलाल के नाम दर्ज होने का कथन किया। उक्त भूमि वादी की पैतृक सम्पति होने एवं उसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा होने निहित होने का कथन किया। यह भी कथन किया कि अपीलाण्ट के दादा मानाराम के दो पुत्र श्योलाल व अपीलाण्ट के पिता नानूराम थे, जिसमें अपीलाण्ट के पिता नानूराम का देहान्त हो गया। नानूराम के वारिस अपीलाण्ट हैं। वादग्रस्त भूमि श्योलाल व नानूराम दोनों की संयुक्त सरमाये सं पैदा की हुई कृषि भूमि थी, जिसे श्योलाल व नानूराम बराबर काश्त करते थे। अपीलाण्ट के पिता नानूराम का देहान्त 2005 में हो जाने पर रेस्पोडेण्ट श्योलाल कर्ता खानदान होने के कारण वादग्रस्त भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली परन्तु वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट का जन्म से हक हिस्सा है, जिसे वह पाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

का हकदार है। वादी ने वाद पत्र में वर्णितानुसार खातेदार घोषित करने एवं राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का अनुतोष मांगा। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद वादी खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने चक 20 ए.एम.एस. की 1.771 है0 व चक 7 एस.डी.आर. की 0.759 है. भूमि जो रेस्पोडेण्ट श्योलाल के नाम दर्ज है में अधिकारों की घोषणा चाही थी। श्योलाल पुत्र मानाराम वादीगण के पिता स्व0 नानूराम का भाई है अपीलाण्ट के पिता नानूराम का देहान्त होने पर प्रश्नगत भूमि श्योलाल पुत्र मानाराम अकेले के नाम दर्ज कर दी। रेस्पोडेण्ट ने उपस्थित आकर वाद का कोई विरोध नहीं किया व वाद में राजीनामा प्रस्तुत करके जरिये राजीनामा वाद डिक्री करने में अपनी सहमति दी। विचारण न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजनामा तस्दीक किया गया एवं पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजनामा विधि अनुसार था एवं राजीनामा प्रस्तुत होने के वाद विचारण न्यायालय को मुताविक राजीनामा वाद डिक्री करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय में वाद पैतृक कृषि भूमि के संवंध में था जिसमें केवल घोषणा का वाद मात्र. धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत ही पेश किया जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर वाद वादी स्वीकार किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट की बहस का समर्थन करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार निर्णय करने का कथन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण ने रोही मौजा चक 20 एएमएस के खाता सं0 186 के मु0 नं0 106 के किला नं. 3 ता 9 की कुल 1.771 है0 बारानी कृषि भूमि तथा चक 7 एसडीआर के खाता सं0 169/155 मु0 नं0 92 के किला नं. 23, 24, 25 की कुल 0.759 है0 प्रतिवादी श्योलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी में उक्त वाद भूमि श्योलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चूंकि वाद एवं अपील का किसी पक्षकार द्वारा विरोध नहीं किया गया है बल्कि सहमति प्रदान की है एवं अधीनस्थ न्यायलाय में उभयपक्ष ने दिनांक 08.03.2022 को राजीनामा पेश किया है जिसे तस्दीक किया गया है। प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट ने अपील एवं वाद स्वीकार कर राजीनामा के अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.02.2023 निरस्त किया जाता है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं चक 7 एसडीआर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता सं0 169/155 के मु0 नं0 92 किला नं. 23, 24, 25 की कुल 0.759 है0 बारानी भूमि के प्रतिवादी के बजाय वादी सं0 1ए का 1/18 हिस्सा, 1बी का 1/18 हिस्सा तथा वादीगण सं0 1सी से 1एफ तक ब0हि0ब0 1/18 हिस्सा तथा वादी सं0 2 ता 4 प्रत्येक 1/6–1/6 हिस्सा के तथा 5ए से 5सी ब0हि0ब0 1/6 हिस्सा तथा वादी संख्या 6 व 7 संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इस भूमि की बाबत प्रतिवादी श्योलाल का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण का उपरोक्तानुसार नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

8. चक 20 एएमएस की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 186/175 के मु0 नं0 106 किला नं0 3 ता 9 की कुल 1.771 है0 बारानी कृषि भूमि में से 0.506 है0 भूमि वादी संख्या 1ए का 1/18 हिस्सा, 1बी का 1/18 हिस्सा तथा वादीगण सं0 1सी से 1एफ तक ब0हि0ब0 1/18 हिस्सा तथा वादी सं0 2 ता 4 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा के तथा 5ए से 5सी ब0हि0ब0 1/6 हिस्सा तथा वादी संख्या 6 व 7 संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाते हैं। शेष 1.265 है0 बारानी भूमि का प्रतिवादी खातेदार कातश्कार है। इस भूमि की बाबत प्रतिवादी अकेले का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर उपरोक्तानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 20.7.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

Sd/- 20/7/23

(करतार सिह पूनियॉ)

राजस्व अपील अधिकारी

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ

हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्या 2023/58 (58/2023) 223 आरटीएक्ट

1. सरोज पुत्री बुधराम
2. सिलोचना पुत्री बुधराम
3. कमला पत्नी जगदीश प्रसाद
4. नन्दलाल पुत्र जगदीश प्रसाद
5. सुखेदव पुत्र जगदीश प्रसाद
6. ममता पुत्री जगदीश प्रसाद
7. सींगाराम पुत्र नानूराम
8. महेन्द्र पुत्र नानूराम
9. बालूराम पुत्र नानूराम
10. शकुन्तला उर्फ सुमित्रा पत्नी औमप्रकाश
11. राकेश पुत्र औमप्रकाश
12. मंजू पुत्री औमप्रकाश
13. संजय पुत्र दीपचंद
14. अजीत पुत्र दीपचंद

जाति बादी निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।

– अपीलान्ट

बनाम

श्योलाल उर्फ श्योदयाल पुत्र मानाराम जाति बादी नि. गांधी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमागनढ। – रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2023

द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भादरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 74/2017, अनवान बुधराम बनाम श्योलाल

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री देवदत्त भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता रेस्पो0 की बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.02.2023 निरस्त किया जाता है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं चक 7 एसडीआर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता सं0 169/155 के मु0 नं0 92 किला नं. 23, 24, 25 की कुल 0.759 है0 बारानी भूमि के प्रतिवादी के बजाय वादी सं0 1ए का 1/18 हिस्सा, 1बी का 1/18 हिस्सा तथा वादीगण सं0 1सी से 1एफ तक ब0हि0ब0 1/18 हिस्सा तथा वादी सं0 2 ता 4 प्रत्येक 1/6–1/6 हिस्सा के तथा 5ए से 5सी ब0हि0ब0 1/6 हिस्सा तथा वादी संख्या 6 व 7 संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इस भूमि की बाबत प्रतिवादी श्योलाल का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण का उपरोक्तानुसार नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे। चक 20 एएमएस की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 186/175 के मु0 नं0 106 किला नं0 3 ता 9 की कुल 1.771 है0 बारानी कृषि भूमि में से 0.506 है0 भूमि वादी संख्या 1ए का 1/18 हिस्सा, 1बी का 1/18 हिस्सा तथा वादीगण सं0 1सी से 1एफ तक ब0हि0ब0 1/18 हिस्सा तथा वादी सं0 2 ता 4 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा के तथा 5ए से 5सी ब0हि0ब0 1/6 हिस्सा तथा वादी संख्या 6 व 7 संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाते हैं। शेष 1.265 है0 बारानी भूमि का प्रतिवादी खातेदार कातश्कार है। इस भूमि की बाबत प्रतिवादी अकेले का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर उपरोक्तानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

डिक्री आज दिनांक 20.7.23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी की गई।

20/7/23

(करतार सिंह पूनियाँ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़